

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर (आरा)।

पटना, दिनांक

विषय :- कमाण्डेन्ट-47 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कोईलवर भोजपुर के वाहिनी परिसर में लंबित विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु कुल ₹ 7,00,000 (सात लाख रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2321/सा0, दिनांक 12.12.2015 के आलोक में कमाण्डेन्ट-47 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कोईलवर भोजपुर के वाहिनी परिसर (टी0बी0 अस्पताल कोईलवर) में लंबित विद्युत विपत्र माह अगस्त, 2015 तक के भुगतान हेतु प्रासंगिक विपत्र कोड के विद्युत प्रभार मद में अधियाचित राशि का विभागीय पत्रांक-1003, दिनांक 10.02.2016 के द्वारा पुनर्विनियोग से उपबंधित राशि कुल ₹ 7,00,000 (सात लाख रू0) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त राशि का आवंटन चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना की मांग सं0-22 मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0009- प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय, विषय शीर्ष 13 04-विद्युत प्रभार तथा विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं0-5294, दिनांक 17.06.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजनान्तर्गत सभी व्यय के लिए विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक 17.04.1998 की कडिका-2 में प्रावधानित बंधेज को पूर्णरूपेण शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त राशि कमाण्डेन्ट-47 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कोईलवर भोजपुर के वाहिनी परिसर में लंबित विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु किया जायेगा। इसे किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जाय।

5. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, भोजपुर (आरा) से की जायेगी।

6. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाय।

7. उपर्युक्त राशि के निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय।

9. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाय।

10. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

पटना, दिनांक 22.02.16

ज्ञापांक-6/ब0गै0यो0-01-82/2015 गृ0आ0.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भोजपुर (आरा)/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(mm)

सरकार के प्रधान सचिव 20.2.16